एक वर्ष पुराने कुएं का मनरेगा के तहत हो रहा था निर्माण

सीईओ, उपयंत्री एवं एसडीओ ने कभी नहीं किया निरीक्षण, अनुरोध के बावजूद जीआरएस ने नहीं भरी ऑनलाइन हाजिरी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बीहरपुरवा में मनरेगा योजना के निर्मल नीर के तहत निर्माणाधीन मौत के कुंए में जिसमें पांच मजदूरों की दबकर मौत हो गई। इस मामलें में नित नए खुलासे हो रहे है लेकिन राजनैतिक एवं प्रशासनिक दबाव के चलते कोई कार्यवाही इसलिये नही हो रही कि पांच गरीब मजदूरों की मौत हुई है न कि प्रभावशाली लोगो की।

मृतकों के परिजनों का आरोप है कि उक्त मौत का कुआ पिछले वर्ष भी धंस गया था लेकिन उतनी गहराई नही थी और धंसने के समय मजदूर उक्त कुंए में उपलब्ध था। एक साल बाद पुन: उसका निर्माण शुरू हुआ, जिसे सरपंच ने अपने रिश्तेदार को ठेके पर दे दिया। परिजनों ने बताया कि उन्होंने ग्राम रोजगार सहायक से कई बार ऑनलाईन हाजिरी भरने के लिये कहा लेकिन कोई सुनवाई नही हुई, इससे पूर्ण रूप से प्रतीत हो रहा है कि उक्त कुंआ कागजों में पूरा दर्शा दिया गया होगा जिस कारण बिना किसी ऑनलाईन हाजिरी के ठेकेदार द्वारा ठेके पर कार्य कराया जा रहा था और आज तक जनपद पंचायत अजयगढ़ के जिम्मेदार व तकनीकि अधिकारी उपयंत्री आशीष विश्वकर्मा, एसडीओ सीईओ सतीष नागवंशी कभी निरीक्षण करने तक नही गये। जबकि तकनीकी अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे तकनीकी मार्गदर्शन देते हुये अपनी मॉनिटरिंग में कार्य कराये। इसके बावजूद भी इन अधिकारियों को अभय दान देते हुये कोई कार्रवाई नही होने से क्षेत्र में जनाक्रोश व्याप्त है। ज्ञात हो कि अजयगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम पंचायत बीहरपुरवा की सरपंच सरोज पटेल, सरपंच पति संतोष पटेल तथा पंचायत कार्य कथित रूप से ठेके पर कराने वाले रामबाबू पटेल निवासी खोरा मझपटिया के खिलाफगैर इरादतन हत्या और बीएनएस की धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज कर विवेचना शुरू की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया अब उतना मुआवजा मिलता है या नही यह तो भविष्य के गर्त में है लेकिन इसके बाद कहीं जाकर जाम समाप्त हुआ था और अंतिम संस्कार हो सका। परिजनों ने आरोप लगाया था कि कुआं एक साल से अधिक समय से अधूरा पड़ा था। जब दूसरी बार काम शुरू करवाया गया तो जनपद पंचायत अजयगढ़ के सीईओ सतीश नागवंशी और उपयंत्री आशीष विश्वकर्मा द्वारा निर्माणाधीन कुएं का निरीक्षण तक नहीं किया गया। सचिव बिहारी लाल पटेल और ग्राम रोजगार सहायक लखन लाल पटेल ऑनलाइन हाजिरी भी दर्ज नहीं कर रहे थे। परिजन सभी के खिलाफ कार्रवाई और 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग पर अड़े रहे।

बीते साल भी धंस गया था कुआं फिर भी लापरवाही

शिव प्रसाद अहिरवार के खेत में मनरेगा के तहत कुआं खुदाई के लिए बीते साल 6.5 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। पर बारिश शुरू हो जाने की वजह से काम अधूरा रह गया था। परिजनों ने आरोप लगाया कि कुएं का अधूरा कार्य पंचायत द्वारा कथित रूप से ठेके पर कराया जा रहा था। कुआं बीते वर्ष भी धंस चुका था, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम और तकनीकी सावधानियों की अनदेखी कर मजदूरों को दोबारा गहराई में उतार दिया गया। जिला स्तर के जिम्मेदार अधिकारी दफ्तरों में बैठकर निगरानी के दावे करते रहे, लेकिन जमीनी हालात की सुध लेने की जरूरत तक नहीं समझी गई।

रामडोल एवं दाने बाबा झिरिया बना वन्यजीवों का सुरक्षित आश्रय

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। दक्षिण पन्ना वनमंडल की रैपुरा रेंज अंतर्गत भरतला बीट में स्थित रामडोल की झिरिया एवं दाने बाबा की झिरिया में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राकृतिक झिरियाओं का पुनर्जीवन, साफ़ सफाई एवं मरम्मत कार्य कराया गया।

परिणामस्वरूप इन प्राकृतिक जलस्रोतों में गर्मी के मौसम में भी जल उपलब्ध बना हुआ है, जिससे क्षेत्र में जैवविविधता को नया सहारा मिला है। इन जलस्रोतों से न केवल वन्यजीवों एवं पक्षियों को राहत मिल रही है, बल्कि मधुमक्खियों, तितलियों एवं अन्य छोटे जीवों के लिए भी यह क्षेत्र

महत्वपूर्ण पारिस्थितिक आश्रय बनता जा रहा है। जल संरक्षण एवं जैवविविधता संरक्षण का यह समन्वित प्रयास दक्षिण पन्ना वनमंडल में प्राकृतिक संरक्षण मॉडल के रूप में उभर रहा है।

चोरी का आरोपी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन में बृजपुर पुलिस टीम को मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पुलिस टीम द्वारा सूचना प्राप्त होने के मात्र 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। दिनांक 25 मई को फरियादी रवि शिवहरे निवासी ग्राम पहाड़ीखेड़ा द्वारा थाना बृजपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 35 एमएच 0319 अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना बृजपुर में अपराध धारा 303(2) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि शरद विश्वकर्मा पिता सुरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम मिंजरा, थाना नागौद जिला सतना को घटना दिनांक एवं समय के आसपास संदिग्ध अवस्था में देखा गया था।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा संदेही को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उसने मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी गई मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 35 एमएच 0319 बरामद कर विधिवत जप्त की गई। आरोपी शरद विश्वकर्मा पिता सुरेन्द्र विश्वकर्मा निवासी ग्राम मिंजरा, थाना नागौद जिला सतना को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

लोड शेडिंग ने छीनी रातों की नींद, भीषण गर्मी में घंटों गुल रहती है बिजली

भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। दिन में तेज धूप और लगातार बढ़ते तापमान से जनजीवन पहले ही अस्त-व्यस्त है, वहीं रात के समय हो रही बिजली कटौती लोगों की नींद छीन रही है।

दोपहर में तेज गर्मी के कारण सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। लोग घरों के भीतर भी राहत महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में रात होते ही शुरू हो रही लोड शेडिंग लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनी द्वारा ट्रांसफार्मरों का लोड कम करने के लिए लोड शेडिंग जैसी गतिविधियां शुरू की गई हैं जिसमें ग्रामीण व कृषि फीडरों को अलग-अलग समय में 14 घंटे तक बंद किया जा रहा है। जिले में नियमों के विपरीत भी कटौती की जा रही है। कटौती का समय ऊर्जा विभाग द्वारा रात्रिकालीन तय किया गया है लेकिन यहां के ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित समय में लोड शेडिंग की जा रही है।

मोबाइल में आ रहे संदेश - बताया जाता है कि वर्तमान में भीषण गर्मी में लोड शेडिंग से जुड़े संदेश बिजली उपभोक्ताओं के मोबाइल में भेजे जा रहे हैं जिसमें तत्काल लोड रीलीफके लिए कृषि फीडर एवं ग्रामीण फीडरों को बंद करने के लिए कहा जा रहा है। जिले के कृषि संबंधित एवं अन्य 11 केवी फीडरों को रात्रिकालीन अघोषित समय में बंद किया जा रहा है। इन फीडरों को बंद कर लोड कम किया जा रहा है ताकि पावर के बढ़ते ट्रांसफार्मर और फीडर फाल्ट न हों।

उपभोक्ताओं ने लगाए आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही थोड़ी देर के लिए नींद आती है, बिजली चली जाती है। पूरी रात यही सिलसिला चलता रहता है। बिना किसी पूर्व सूचना के हो रही इस अघोषित कटौती से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग लोड शेटिंग के नाम पर अघोषित कटौती कर रहा है। उनका कहना है कि यदि बिजली कटौती का समय पहले से घोषित कर दिया जाए तो लोग अपनी व्यवस्था कर सकते हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि यह कटौती स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश पर लोड शेडिंग के तहत की जा रही है।

ग्रीष्मकालीन पेयजल नियंत्रण कक्ष की स्थापना

पन्ना, 28 मई। मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा पवई नगर में ग्रीष्मकाल के दौरान पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए ग्रीष्मकालीन पेयजल निवारण नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। एमपीयूडीसी के परियोजना प्रबंधक पी.डी. तिवारी ने बताया कि यह नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा तथा नागरिकों की पेयजल संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य गर्मी के मौसम में नागरिकों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराना एवं किसी भी प्रकार की जल आपूर्ति समस्या का त्वरित समाधान करना है। नियंत्रण कक्ष का दूरभाष क्रमांक 07682-356825 है, जिस पर नागरिक किसी भी समय संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

भालुओं के जबड़े से मां को खींच लाई 19 साल की बेटी व मां की बहन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। पन्ना जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जिसने एक तरफ मानवीय साहस की नई मिसाल पेश की है, तो दूसरी तरफहमारे सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता को भी पूरी तरह नंगा कर दिया है।

उत्तर वन मंडल के देवेंद्रनगर रेंज अंतर्गत डूंगरा पहाड़ के घने जंगलों में तेंदूपत्ता तोड़ने गई महिलाओं पर मौत बनकर टूटे तीन खूंखार भालुओं को एक 19 साल की जांबाज बेटी और उसकी मौसी ने अपने अदम्य साहस के दम पर दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, इस खूनी संघर्ष में

मां-बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई यह खौफनाक वारदात उस वक्त शुरू हुई जब बिंदा राय नाम की महिला अन्य महिलाओं के साथ अमले में तेंदूपत्ता बीन रही थीं। इसी दौरान झाड़ियों में घात लगाकर बैठे तीन विशालकाय भालुओं ने अचानक बिंदा राय पर सीधा जानलेवा हमला बोल दिया। भालुओं के नुकीले पंजों और दांतों के वार से तड़पती मां की चीख-पुकार सुनकर पास ही मौजूद 19 वर्षीय बेटी ईसा राय बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे उन तीन खूंखार दरिंदों पर शेरनी की तरह टूट पड़ी।

यह खूनी संघर्ष बेहद खौफनाक था क्योंकि एक तरफ तीन आदमखोर जंगली जानवर थे और दूसरी तरफ सिर्फ अपनी मां को बचाने का जज्बा लिए एक निहत्थी लड़की थी। भालुओं ने ईसा पर भी जानलेवा वार किए, जिससे वह भी घायल हो गई, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं हटाए।

पत्थर मार कर भगाया भालुओं को

बेटी को अकेले जूझता देख पास ही मौजूद मौसी पूर्णिमा भी अपनी जान हथेली पर रखकर मैदान में कूद पड़ीं। पूर्णिमा ने बिना डरे आसपास पड़े पत्थरों को उठाया और भालुओं पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। दो महिलाओं का यह रौद्र रूप और जीने-मरने की जिद देखकर आखिरकार उन तीन ताकतवर भालुओं के हौसले पस्त हो गए और वे घने जंगल की तरफभाग खड़े हुए। ग्रामीणों और परिजनों ने तत्काल आपातकालीन सेवा 108 एम्बुलेंस को फोन लगाया, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं पहुंची। आखिरकार, सिस्टम से आस टूटते देख बदहवास परिजन एक निजी ऑटो का इंतजाम कर घायलों को किसी तरह जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है।

सलेहा वन क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी अवैध खनन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। क्षेत्र में अवैध उत्खनन का कार्य माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों के ध्यान न देने से जगह-जगह बने गड्ढों से हादसे की भी आशंका बनी हुई है।

ग्रामीणों ने बताया कि रसूखदारों और माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को हर दिन लाखों रुपये के राजस्व की भारी क्षति हो रही है। बीते वर्ष पास के ही रीछूल गांव में इसी तरह के अवैध खनन के कारण बने गहरे गड्ढों में डूबने से एक ही परिवार की तीन मासूम बच्चियों की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे के बाद रोड ठेकेदार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन इस त्रासदी से भी प्रशासन और खनन माफियाओं ने कोई सबक नहीं लिया। आज भी क्षेत्र में उसी लापरवाही के साथ खनन कार्य जारी है। लोगों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही ग्राम पंचायत सलेहा से महज एक किलोमीटर की दूरी पर वन विभाग की सीमा से लगी जमीन पर हजारों डंपर मुरुम का अवैध उत्खनन कर बहुत ही गहरे गड्ढे बना दिए। सलेहा रेंजर ने मामले को संज्ञान में लिया और मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण तो हटा दिया, लेकिन जब इसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों और राजस्व विभाग को भेजी गई, तो राजस्व विभाग ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह जमीन उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती। मामले की जानकारी खनिज अधिकारी को ग्रामीणों ने दी थी जिसमें उन्होंने जल्द कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई न होने से सलेहा क्षेत्र में चारों ओर जगह-जगह अवैध खनन किया जा रहा है। सलेहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत गांव के भीतर ही जेसीबी मशीनों के माध्यम से जमीन को छलनी करते हुए गहरे-गहरे गड्ढे खोद दिए गए हैं। गांव की तलैया से भी भारी मात्रा में मिट्टी-मुरुम निकालकर उसे खाई में तब्दील कर दिया गया है।

पांच मजदूरों के हादसे मामले का एक आरोपी गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। गत दिवस पन्ना जिले के अजयगढ़ तहसील क्षेत्रान्तर्गत बीहरपुरवा पंचायत के मजरा नयापुरवा में कथित रूप से ठेके पर बनवाये जा रहे मनरेगा के निर्मल नीर कूप में पांच मजदूरों की कुंआ धंसकने से दर्दनाक मौत हो गई थी।

जिस पर प्रथम दृष्टया तीन लोगो को आरोपी बनाया गया था जिसमें अजयगढ़ थाना पुलिस ने ग्राम पंचायत बीहरपुरवा की सरपंच सरोज पटेल, सरपंच पति संतोष पटेल तथा पंचायत कार्य कथित रूप से ठेके पर कराने वाले रामबाबू पटेल निवासी खोरा मझपटिया के खिलाफगैर इरादतन हत्या और बीएनएस की धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज

कर विवेचना मे लिया है। इसमें आज एक आरोपी सरपंच पति संतोष पटेल को अजयगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उपरोक्त मामलें में थाना प्रभारी अजयगढ़ निरीक्षक हरिसिंह ठाकुर से जब अन्य जिम्मेदार जनपद पंचायत के तकनीकी अधिकारियों पर कब कार्यवाही की जायेगी तब उन्होंने कहा कि अभी प्रारंभिक तौर पर तीन आरोपी बनाये गये है। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने पर जो भी दोषी पाये जायेंगे उन पर भी कार्यवाही की जायेगी।

दक्षिण पन्ना में तेंदूपत्ता संग्रहण ने पार किया लक्ष्य

ग्रामीणों को मिलेगा अधिक आर्थिक लाभ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। दक्षिण पन्ना वनमण्डल अंतर्गत वर्ष 2026 के तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की गई है। वनमण्डल को इस वर्ष 17,430 मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, जिसके विरुद्ध अब तक लगभग 17,625 मानक बोरा संग्रहण किया जा चुका है।

अर्थात निर्धारित लक्ष्य का लगभग 101 प्रतिशत से अधिक संग्रहण पूर्ण हो चुका है। इस वर्ष दक्षिण पन्ना में तेंदूपत्ता लॉट्स की नीलामी में ऐतिहासिक रूप से सर्वाधिक दरें प्राप्त हुई हैं। पहली बार औसत ऑक्शन दर 5000 प्रति मानक

बोरा से ऊपर पहुंची है तथा वर्ष 2026 में औसत विक्रय दर लगभग 5261 प्रति मानक बोरा दर्ज की गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में सर्वाधिक रही है।

तेंदूपत्ता चोरी एवं अवैध तुड़ाई पर नियंत्रण हेतु दक्षिण पन्ना वनमण्डल के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में सघन गश्त एवं निगरानी अभियान भी चलाया गया था। वन अमले द्वारा ग्रामीणों को कच्चे एवं अपरिपक्व पत्तों की तुड़ाई से बचने, निर्धारित नियमों के अनुसार ही संग्रहण करने तथा अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल विभाग को देने के संबंध में जागरूक किया गया था।

श्री द्वारका व सोमनाथ की यात्रा के लिए तीर्थ यात्री रवाना

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पन्ना जिले के बुजुर्ग तीर्थ यात्री गत बुधवार को सायं श्री द्वारका एवं सोमनाथ जी की यात्रा के लिए रवाना हुए।

नगर पालिका परिषद पन्ना की अध्यक्ष एवं अपर कलेक्टर मधुवंतराव धुर्वे ने स्थानीय टाउन हॉल से तीर्थ यात्रियों की बस को हरी झंडी दिखाकर खजुराहो रेलवे स्टेशन रवाना किया। खजुराहो से सभी यात्री गंतव्य के लिए ट्रेन द्वारा रवाना हुए। यह तीर्थ यात्रा 2 जून को संपन्न होगी। सभी बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का रवानगी के दौरान माला पहनाकर स्वागत किया गया और सफल यात्रा के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी गईं।

दक्षिण वनमंडल ने वन अपराधों की सूचना के लिए जारी किया टोल फ्री नंबर

टोल फ्री नंबर 18002330320 पर दें सूचना

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। दक्षिण पन्ना वनमंडल द्वारा वन अपराधों की रोकथाम, त्वरित सूचना संकलन एवं प्रभावी मॉनिटरिंग के उद्देश्य से जिला स्तरीय कंट्रोल रूम प्रारंभ किया गया है। इसके लिए टोल फ्री नंबर 18002330320 जारी किया गया है, जिस पर कोई भी नागरिक अथवा ग्रामीण वन अपराधों से संबंधित सूचना या शिकायत दर्ज करा सकता है।

वर्तमान में यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक, कुल 16 घंटे संचालित रहेगा। निकट भविष्य में इसे 24ग7 संचालित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। नागरिक इस नंबर पर कॉल कर वृक्षों की अवैध कटाई, वन्यजीव शिकार, वन भूमि पर अतिक्रमण, वन क्षेत्रों में अवैध उत्खनन, वन अग्नि, वनोपज की चोरी सहित अन्य वन अपराधों की सूचना दे सकते हैं। कंट्रोल रूम का नियंत्रण उपवनमंडल अधिकारी कल्दा के अधीन रहेगा। वनमंडलाधिकारी दक्षिण पन्ना द्वारा भी इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी।

कलेक्टर ने नियम विरुद्ध निर्माणाधीन कॉलोनियों को किया अवैध घोषित, होगी एफआईआर

नवभारत न्यूज

पन्ना, 28 मई। कलेक्टर न्यायालय द्वारा पवई तहसील के मौजा पवई पटवारी हल्का नंबर 13 अंतर्गत आराजी नंबर 2714/3/क में निर्मित की जा रही कॉलोनी को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339 घ अंतर्गत अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने की कार्यवाही की गई है तथा नागरिक अधोसंरचना के विकास कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रश्नाधीन सर्वे नंबर की भूमि को नगर परिषद पवई में अटैच कर सीएमओ को उक्त भूमियों पर भू प्रवेश की कार्रवाई कर कब्जा प्राप्त करने तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में ले-आउट तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

साथ ही कॉलोनी विकास व नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्राक्कलन तैयार कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। विदित हो कि अनावेदक सूर्यकांत पिता बद्री प्रसाद मिश्रा निवासी पवई द्वारा कॉलोनी निर्माण में म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 339-क, 339-ख एवं 339-ग तथा तत्समय प्रचलित नियम व वर्तमान म.प्र. नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ने आदेश पारित कर अनावेदक के विरूद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं में पुलिस थाना पवई में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए तहसीलदार पवई को अधिकृत

किया है। इस प्रकरण में खातेदार द्वारा बगैर डायवर्सन व कॉलोनाईजर की अनुज्ञप्ति के बिना 16 व्यक्तियों को पृथक-पृथक भूमि का विक्रय किया गया था तथा रकवा 0.243 हे. पर वर्तमान में भी प्लॉट का विक्रय किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में वैधानिक कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई द्वारा अनावेदक को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था। इसी तरह पवई तहसील के नगरीय क्षेत्र में पवई निवासी प्रशांत मिश्रा पिता बद्री प्रसाद मिश्रा द्वारा पवई मौजा अंतर्गत सर्वे नंबर 2714/3/ख रकवा 0.305 हे. में 19 व्यक्तियों को पृथक-पृथक 0.257 हे. रकबे का विक्रय किया गया। शेष 0.048 हे. रकवा की बिक्री भी खातेदार द्वारा की जा रही है। साथ ही बद्री प्रसाद पिता सिद्धगोपाल मिश्रा निवासी पवई के द्वारा भी आराजी नंबर 2714/1/क, 2714/2/क रकवा क्रमश: 0.636, 0.514 हे. कुल किता 2 रकवा 1.150 हे. में कुल 25 व्यक्तियों को पृथक-पृथक प्लाट का विक्रय किया गया, जबकि शेष रकवा पर भी बिक्री की जा रही है। उक्त दोनों प्रकरणों में भी जिला कलेक्टर ने निर्माणाधीन कॉलोनी को अनधिकृत घोषित किया है।

तीन कॉलोनियां अनधिकृत घोषित : परमार

ऊषा परमार ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गुनौर के प्रतिवेदन पर नगर परिषद गुनौर क्षेत्र में भी बगैर लायसेंस एवं रेरा पंजीयन के अवैध कॉलोनी निर्माण पर तीन कॉलोनियों को अनधिकृत घोषित कर संबंधित अनावेदकों के विरूद्ध पुलिस थाना गुनौर में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने का आदेश पारित किया गया है। ग्राम गुनौर की आराजी सर्वे नंबर 1441 जुज रकवा 0.469 हे. भूमि पर भूमि स्वामी रामकिशुन पिता बंदी तिवारी द्वारा छोटे-छोटे भूखंड का विक्रय किया जा रहा है। एसडीएम गुनौर ने इस संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण का पंजीयन कर अनावेदक को नोटिस जारी किया था। इस प्रकरण में गत 4 मई को हल्का पटवारी द्वारा अपने कथन में अवगत कराया गया कि सर्वे नंबर की भूमि पर 12 आवासीय भूखंड विक्रय किए गए हैं। 10 भूखंडधारियों द्वारा इस पर पिलर बनाए गए हैं, जबकि अनावेदक रामकिशुन का मकान भी निर्माणाधीन है। मौके पर केवल कच्ची सड़क है। पक्की सड़क, नाली, सीवेज निकासी, पानी व विद्युत की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां कृषि प्रयोजन की भूमि का आवासीय उपयोग के लिए विक्रय पाया गया। प्रश्नाधीन भूमि पर स्थित कॉलोनी को अनधिकृत कॉलोनी घोषित करने के संबंध में पूर्व में सार्वजनिक सूचना जारी कर दावा-आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थीं।